संख्या-8/2019/193/छप्पन-2019-17/2014

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन विभाग। लखनऊ, दिनांक : 29 जनवरी, 2019

विषय: नागरिक उड्डयन निदेशालय के पायलटों के पारिश्रमिक/भत्तों एवं अन्य सुविधाओं का पुनर्निर्धारण ।

महोदय,

नागरिक उड्डयन निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों के मासिक पारिश्रमिक/ भत्तों का निर्धारण शासनादेश संख्या 1422/छप्पन-2014-17/2014 दिनांक 9 सितम्बर, 2014 द्वारा किया गया है।

2- पायलटों के वर्तमान वेतन/भत्तों के पुनरीक्षण के लिए नागरिक उड्डयन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-93/2017/2032/छप्पन-2017-17/2017 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत पायलटों (फिक्स्ड विंग एवं रोटर विंग) के वेतन /भत्तों एवं पारिश्रमिक का बाजार के आधार पर पुनरीक्षण, संविदा पायलटों की सेवा शर्तों तथा अन्य सुविधाओं का निर्धारण एवं अन्य कोई बिंदु, जो समिति उपयुक्त समझे, पर विचार करने हेतु प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक 05 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। बैठक दिनांक 14 जुलाई, 2018 में विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा पायलटों के वेतन, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं आदि के पुनरीक्षण हेतु संस्तुतियां, जिन्हें समिति के अध्यक्ष के रूप में अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग , उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 2018 को पत्रावली पर अनुमोदन प्रदान किया गया है, शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराई गयीं। दिनांक 18 जनवरी, 2019 को उक्त संस्तुतियों पर मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए है:-

(क) फिक्स्ड विंग में जेट वायुयान तथा टर्बो-प्राप वायुयान के संविदा पायलटों हेतु वर्तमान में अलग-अलग निर्धारित पारिश्रमिक रेन्ज का संविलयन (merger)

जेट वायुयान एवं टर्बो- प्राप वायुयान के पायलट-इन-कमाण्ड तथा को-पायलट हेतु वर्तमान में निर्धारित पारिश्रमिक रेन्ज में विद्यमान भिन्नता को समाप्त करते हुये पारिश्रमिक रेन्ज का संविलयन (merger) निम्नवत किया जाता है:-

वर्तमान पारिश्रमिक रेन्ज		पुनरीक्षित पारिश्रमिक रेन्ज	
पायलट-इन-कमाण्ड (जेट वायुयान)	रू0 5.00 लाख से 7.00 लाख	पायलट-इन-कमाण्ड(जेट/टर्बो-प्राप वायुयान)	रू0 2.50 लाख से 7.00 लाख
पायलट-इन-कमाण्ड(जेट/टर्बो-प्राप वायुयान)	रू0 2.50 लाख से 4.50 लाख		
को-पायलट(जेट वायुयान)	रू0 4.00 लाख से 6.00 लाख	को- पायलट (जेट/टर्बो-प्राप वायुयान)	रू0 1.25 लाख से 6.00 लाख
अन्य पायलट (टर्बो-प्राप वायुमान	रू0 1.25 लाख से 2.00 लाख		

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ख) <u>पारिश्रमिक का निर्धारण</u>:

पूर्वोक्त बिंदु '' क'' में अकिंत पुनरीक्षित पारिश्रमिक रेन्ज में संविदा पायलटों के पारिश्रमिक का निर्धारण अथवा परिवर्तन प्रशासकीय विभाग द्वारा मा0 विभागीय मंत्री के अनुमोदन एवं वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा । अपवाद की स्थिति में यदि ऐसा करना अपरिहार्य समझा जाए की किसी संविदा पायलट को उक्त पारिश्रमिक रेन्ज से अधिक पारिश्रमिक निर्धारित करना आवश्यक हो तो उस दशा में मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करके पारिश्रमिक स्वीकृत किया जा सकेगा।

(ग) <u>पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि</u>

फिक्स्ड विंग एवं रोटर विंग के सभी संविदा पायलटों के निर्धारित पारिश्रमिक पर 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि पायलट की संतोषजनक सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में देय होगी, जिसे निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा। किसी पायलट द्वारा निजी कारणों से निरन्तर तीन माह से अधिक उड़ान न करने पर पारिश्रमिक में वृद्धि की तिथि 06 माह बढ़ा दी जाएगी।

विशेष परिस्थितियों में, यदि ऐसा करना अपरिहार्य समझा जाता है, तो उन कारणों (मार्केट की स्थिति, पायलट की परफारमेन्स व उपलब्धता आदि) को स्पष्ट करते हुए अधिकतम 5 प्रतिशत अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि की संस्तुति निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा शासन को प्रेषित की जा सकती है जिस पर अन्तिम निर्णय प्रशासकीय विभाग द्वारा विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करते हुए स्वीकृत किया जा सकेगा।

(घ) <u>विशेष उड़ान भत्ता</u>

सभी फिक्स्ड विंग व रोटर विंग के संविदा तथा नियमित सेवा के पायलटों को समान रूप से रू0 5,000/- प्रति उड़ान घंटा की दर से विशेष उड़ान भत्ता निर्धारित किया जाता है।

(च) <u>संविदा पायलटों को आवास सुविधा</u>

नागरिक उड्डयन विभाग में कार्यरत संविदा पायलटों को आवश्यकतानुसार उपलब्धता के आधार पर लखनऊ में टाईप-IV/ टाईप-V के सरकारी आवास की सुविधा दी जा सकेगी।

(छ) <u>सभी पायलटों को समान रूप से Aviation Personal Accident (PA)/Loss of License (LOL) Insurance प्रीयम का भुगतान -</u>

नागरिक उड्डयन विभाग के सभी पायलटों को समान रूप से 60 लाख रूपये तक का Aviation Personal Accident तथा 60 लाख रूपए तक का Loss of License हेतु किए जाने वाले बीमा के वार्षिक प्रीमियम की प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जा सकेगी। इस मद में प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रूपए एक लाख प्रतिवर्ष तक निर्धारित की जाती है।

(ज) <u>उड़ान डयूटी हेतु वाहन की सुविधा</u>

उड़ान डयूटी हेतु पायलटो को उनके आवास से एयरपोर्ट लाने व डयूटी पश्चात् वापस आवास छोड़ने हेतु वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 में कार्यरत पायलटों के वेतन भत्तों/पारिश्रमिक/अन्य भत्तों / सुविधाओं के सम्बन्ध में समय-समय पर पूर्व में निर्गत आदेश उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे । कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

पृ0सं0-8/2019/193(1)/छप्पन-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), प्रथम, उत्तर प्रदेश, छठा तल, केंद्रीय भवन,सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (सामान्य) अनुभाग -1/2, वित्त लेखा अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश, शासन।

5- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग -7 उत्तर प्रदेश, शासन।

6- कार्मिक अनुभाग -1, उत्तर प्रदेश शासन।

7- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।